

फर्द अहकाम

प्राप्त पत्र 14(4)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

मोहोर बनाम ज्ञाथु लाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 79/2018 : _____ / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21-9-22	पत्रावली पेश हुई पत्रकारान में से कोई उपस्थित नहीं। अज्ञापीठिका के नोटिस पेश होने पर जारी हो पत्रावली दिनांक 19-10-22 को पेश हो। (32)
	19-10-22	अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-11-22 को पेश हो। रीडर, न्यायालय इ.डी.एम. (तृतीय), जयपुर
	2-11-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-11-22 को पेश हो। रीडर, न्यायालय इ.डी.एम. (तृतीय), जयपुर
	7-12-22	पत्रावली पेश हुई पत्रकारान में से कोई उपस्थित नहीं। कारवाय आवाज दिनांक 7-12-22 को प्रेषित एवं अप्रैप्री अज्ञा उनके अधिवक्ता अनुपासित है परंतु सरकार उपस्थित। पत्रावली में पूर्व में 7 दिनांक 6-7-22 से प्राप्ति अधिवक्ता अनुपासित रहे हैं साथ ही दिनांक 30-3-21 से ही न्यायालय के निर्देश के अनुसार अप्रैप्री तलकी नोटिस पेश नहीं किया जा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राप्ति न्यायालय की प्रक्रिया को आगे नहीं बढाना चाहते हैं अतः प्राप्ति का प्राप्ति पत्र 14(4) में अंतर्गत नियम सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 5 एवं आदेश 9 नियम 5

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निम्न

फर्द अहकाम

प्रति पत्र 14(4)

य

अतिरिक्त कलेक्टर
(तृतीय) जयपुर

मोदन बनाम माधुकोल

संख्या/वर्ष

79/2018

/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>8 के अन्तर्गत नोटिस समय पर पेश नहीं करने एवं अनुपस्थित रहने के कारण कार्रवाई किया जाता है। पक्षावधि फैसल शुक्रा देसा द्वारा नम्बर से कम दस्तावेज दाखिल दस्तावेज</p> <p>अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय) जयपुर</p>	